प्रभास कुमार झा
सचिव

Prabhas Kumar Jha
SECRETARY
Tel. : 23438266 Telefax : 23438267
E-mail : secy-ol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अ. शा. पत्र सं0 सचिव(रा.भा)/विविध -2/ 2017

दिनांक : 21 फरवरी, 2017

22 FEB 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/ विभागों द्वारा विभागीय हिन्दी शब्दावली का संकलन तैयार करने के संबंध में|

भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार संघ सरकार के कार्य-व्यवहार में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना है। संविधान के अनुच्छेद 351 की मंशा है कि हिन्दी का प्रसार हो, उसकी प्रकृति हिन्दुस्तानी हो जिसमें संस्कृत व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश हो|

2 कार्यालयी लेखन में हिंदी का प्रयोग जब अनुवाद के माध्यम से किया जाता है तो भाषा कृत्रिम, जटिल और बोझिल हो जाती है। इससे हिंदी भाषा में कार्य करने का उत्साह जाता रहता है जबकि राजकाज में हिंदी में मूल लेखन से विचारों के संप्रेषण में आसानी होती है और कार्य के निष्पादन में गति आती है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यालयों में उच्चाधिकारियों के द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मूलत: हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। अत: प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग के सचिव एवं संगठन-प्रमुख से अनुरोध है कि वे अपने साथ काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें। साथ ही अपने कार्यालय/संगठन में बार-बार प्रयोग में आने वाले शब्दों की द्विभाषिक (अंग्रेजी-हिंदी) शब्दावली तैयार कराएं।

3 यद्यपि इस दिशा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासनिक शब्दावली तैयार की गई है, जिसमें लगभग 15 हजार शब्द हैं। तथापि भारत सरकार के प्रशासन तंत्र की गतिशीलता, विशालता एवं नए-नए शब्दों के विकास के मद्दे नज़र इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। प्रशासन में वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान, इलैक्ट्रानिकी, विधि और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी से जुड़े समस्त क्षेत्र आते हैं। इसलिए हिंदी में विभागीय शब्दावली तैयार करने की बहुत आवश्यकता है ताकि प्रत्येक विभाग और संगठन के पास अपने कामकाज से संबंधित एक समग्र शब्दावली उपलब्ध रहे। इससे हिंदी में कामकाज करने में आसानी होगी। साथ ही केंद्रीय सरकारी तंत्र में शामिल होने वाले नए अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा होगी।

4 शब्दावली संकलन के मार्गदर्शक बिंदु निम्नलिखित हो सकते हैं:-

(क) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/प्रतिष्ठान के दैनिक कामकाज में बार-बार व्यवहार होने वाले अंगरेजी शब्दों को वर्णक्रमानुसार संकलित किया जाए।

(ख) अंगरेजी शब्दों के समक्ष पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्धारित मानक हिंदी शब्द दिया जाए फिर उस शब्द के लिए प्रचलित हिंदी शब्द तथा बोलचाल में प्रयोग होने वाले पर्याय दिए जाएं। उदाहरणार्थ "डी-मोनेटाइजेशन" के लिए मानक शब्द "विमुद्रीकरण" के साथ आम जन में प्रचलित "नोटबंदी" शब्द भी दिया जाए|

(ग) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिकी आदि की संकल्पनाओं का बोध कराने वाले कई अंगरेजी शब्द हिंदी में भी ज्यों-का-त्यों प्रचलन में हैं। ऐसे अंगरेजी शब्द ज्यों-का-त्यों देवनागरी लिपि में लिखे जाएं।

(घ) सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव एकरूपता लाने के उद्देश्य से ऐसे शब्द अपनाए जाएं जो अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में व्यवहार होते हों।

(ड.) अंगरेजी अथवा विदेशी भाषाओं के परिभाषिक शब्दों के लिए अखिल भारतीय प्रचलन वाले शब्दों को अपनाया जाए, जैसे – डीलक्स, टिकट, सिग्नल, पेंशन, रेस्तरां, वेबसाइट, क्लिनिक, डाक आदि।

(च) केन्द्र सरकार के विभागों का कार्यकलाप चूंकि पूरे देश में फैला है अत: विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं के समानार्थक शब्द भी यथावश्यकता जोड़े जाएं| इस संबंध में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा तैयार "भारतीय भाषा कोश" का उपयोग किया जा सकता है|

(छ) जहां पहले से ही ऐसी शब्दावली मौजूद है, उन्हें समय-समय पर अद्यतन भी किया जाए|

अत: आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय, विभाग, संगठन में प्रयोग होने वाले शब्दों का द्विभाषिक (अंग्रेजी-हिंदी) संकलन तैयार कराने का कष्ट करें| यह लघु पुस्तिका के रूप में हो जिसे समस्त अधिकारियों/ कार्मिकों को उपलब्ध कराया जाए ताकि वे इसका प्रयोग आसानी से कर सकें| मैं आभारी होऊंगा कि इस संबंध में कृत कार्यवाही से मुझे भी समय समय पर अवगत कराने का कष्ट करें|

भवदीय,

(प्रभास कुमार झा)

प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय
अपर प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय
मंत्रिमंडल सचिव
समस्त सचिव, भारत सरकार